बिहार शिक्षा परियोजना,

डायट कैम्पस, खिरनीघाट, बड़ी खंजरपुर, भागलपुर 812001 (बिहार)

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में संविदा कर्मियों के नियोजन हेतू आयोजित लिखित परीक्षा संबंधी

महत्वपूर्ण दिशा निर्देश :—

1. वार्डेन —सह— शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु 100 अंकों की लिखित परीक्षा बुलावा पत्र में अंकित तिथि एवं निर्धारित समय में एक ही पाली में आयोजित किया जाएगा। मूल्यांकन में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. प्रश्न पत्र —सह— उत्तर पुस्तिका में 2—2 अंकों के 50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों में चार—चार विकल्प होंगे। सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे।
3. वार्डेन/अंशकालिक शिक्षिका/लेखापाल हेतु आयोजित परीक्षा के प्रश्न—पत्र के प्रारूप निम्नवत् होंगेः—

वार्डेन —सह शिक्षिका	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति (General Knowledge & General Aptitude)—50 अंक, गणित—10 अंक, भाषा—10 अंक, इतिहास—10 अंक, भूगोल—10 अंक, विज्ञान—10 अंक
अंशकालिक शिक्षिका (भाषा)	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति (General Knowledge & General Aptitude)—50 अंक, गणित—10 अंक, समाज विज्ञान—10 अंक, भाषा—10 अंक
अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित)	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति (General Knowledge & General Aptitude)—50 अंक, गणित—10 अंक, भाषा—10 अंक, भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान—30 अंक
अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान)	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति (General Knowledge & General Aptitude)—50 अंक, गणित—10 अंक, भाषा—10 अंक, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति शास्त्र—30 अंक
लेखापाल —सह— सहायक	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति (General Knowledge & General Aptitude)—50 अंक, गणित—10 अंक, भाषा—10 अंक, लेखा—30 अंक

4. लिखित परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी।
5. परीक्षार्थी परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। परीक्षार्थी अपने साथ किसी प्रकार का नोट—बुक, चिट—पुर्जा, मोबाईल फोन, या इलेक्ट्रानिक गैजेट साथ नहीं लायेंगे। परीक्षा केन्द्र परिसर में इन्हें ले जाना निषेध है।
6. परीक्षा केन्द्र के अन्दर अभ्यर्थी को केवल ब्लू/काला बॉल पेन ले जाने की ही अनुमति होगी।
7. परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट के बाद परीक्षा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. अभ्यर्थी को प्रवेश—पत्र के साथ केवल ''मूल फोटो पहचान पत्र'' के साथ ही लिखित परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
9. जिस प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का फोटो नहीं है वे लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के एक दिन पूर्व कार्यालय में ''मूल फोटो पहचान पत्र'' के साथ आकर अपना फोटो जमा कर द्वितीय प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में फोटोयुक्त प्रवेश पत्र रहने पर ही अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी।
10. संलग्न प्रवेश पत्र में अंकित तिथि एवं समय उसी लिखित परीक्षा के दिन और समय के लिए ही मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में दिन/पाली/परीक्षा केन्द्र में परिवर्त्तन की अनुमति नहीं है।
11. परीक्षा भवन में किसी भी प्रकार के कदाचार/अनुचित कार्य/दुराचार/अनुशासनहीनता/किसी अन्य परीक्षार्थी के बदले उपस्थित होना इत्यादि में लिप्त अभ्यर्थी को अयोग्य करार दिया जायेगा और उसे भविष्य में के0जी0बी0भी0 की सभी परीक्षाओं और नियुक्तियों से निष्कासित कर दिया जायेगा। ऐसे मामलों में आवश्यकतानुसार सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जा सकती है।
12. परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को स्वयं यात्रा और रहने इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी।
13. किसी भी परिस्थिति में के0जी0बी0भी0, जिला नियोजन समिति, भागलपुर का निर्णय अंतिम होगा और समिति का निर्णय सभी अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा।

निदेशानुसार

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एस0एस0ए0
—सह— सदस्य सचिव
के0जी0बी0भी0, जिला नियोजन समिति, भागलपुर

बिहार शिक्षा परियोजना,

डायट कैम्पस, खिरनीघाट, बड़ी खंजरपुर, भागलपुर 812001 (बिहार)

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में संविदा कर्मियों के नियोजन हेतू आयोजित अंतर्वीक्षा एवं शारीरिक जाँच संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश :–

1. अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया हेतु 100 अंकों की अंतर्वीक्षा बुलावा पत्र में अंकित तिथि एवं निर्धारित समय में ली जाएगी। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. अनुसेवक एवं रात्रि प्रहरी का अंतर्वीक्षा तिथि को चिकित्सक दल द्वारा शारीरिक जाँच भी किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र के साथ केवल ''मूल फोटो पहचान पत्र'' के साथ साक्षात्कार में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
4. जिस प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का फोटो नहीं है वे साक्षात्कार के एक दिन पूर्व कार्यालय में ''मूल फोटो पहचान पत्र'' के साथ आकर अपना फोटो जमा कर द्वितीय प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। फोटोयुक्त प्रवेश पत्र रहने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी।
5. संलग्न प्रवेश पत्र में अंकित तिथि एवं समय उसी साक्षात्कार के दिन और समय के लिए ही मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में दिन/पाली/परीक्षा केन्द्र में परिवर्त्तन की अनुमति नहीं है।
6. किसी भी प्रकार के कदाचार/अनुचित कार्य/दुराचार/अनुशासनहीनता/किसी अन्य परीक्षार्थी के बदले उपस्थित होना इत्यादि में लिप्त अभ्यर्थी को अयोग्य करार दिया जायेगा और उसे भविष्य में के0जी0बी0भी0 की सभी परीक्षाओं और नियुक्तियों से निष्कासित कर दिया जायेगा। ऐसे मामलों में आवश्यकतानुसार सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जा सकती है।
7. साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को स्वयं यात्रा और रहने इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी।
8. किसी भी परिस्थिति में के0जी0बी0भी0, जिला नियोजन समिति, भागलपुर का निर्णय अंतिम होगा और समिति का निर्णय सभी अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा।

निदेशानुसार

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एस0एस0ए0
–सह– सदस्य सचिव
के0जी0बी0भी0, जिला नियोजन समिति, भागलपुर